रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 434] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 4, 2010/श्रावण 13, 1932
No. 434] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 4, 2010/SHRAVANA 13, 1932

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अगस्त, 2010

सा.का.नि. 656(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 (1992 का 35) की धारा 156 की उप-धारा (2) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, पशु परिवहन काडर (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 1999 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल में निरीक्षक (पशु परिवहन), उप-निरीक्षक (पशु परिवहन), हैड कांस्टेबल (पशु परिवहन) और कांस्टेबल (पशु परिवहन) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, पशु परिवहन काडर (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 2010 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **लागू होना.**—ये नियम, इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे ।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में यथाविनिर्दिष्ट हैं ।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं, आदि.**—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं ।

5. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6. **चिकित्सक दृष्टया योग्यता.**—इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केवल वे व्यक्ति जो भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल चिकित्सा मैनुअल खंड-III, में यथा विनिर्दिष्ट चिकित्सा प्रवर्ग शेप-I, में हैं, इन नियमों के उपबंधों के अधीन प्रोन्नति और नियुक्ति जिसके अंतर्गत प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन द्वारा नियुक्ति भी है, के लिए पात्र होंगे ।

7. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

8. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग, के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	**पद संख्या**	**वर्गीकरण**	**वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान**	**चयन अथवा अचयन पद**	**सेवा में जोडे गए वर्षो का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
1. निरीक्षक (पशु परिवहन)	1* (2010) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, (अननुसचिवीय)	वेतन बैंड– 2, 9300–34800 रू0 + ग्रेड वेतन 4600 रू0	चयन	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु–सीमा
(7)
लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं**	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो**
(8)	**(9)**	**(10)**
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले रिक्त पदों की प्रतिशतता	**प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।**
(11)	**(12)**
प्रोन्नति द्वारा	**प्रोन्नति द्वारा :** भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल के ऐसे उप–निरीक्षक (पशु परिवहन) में से; जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है और जिन्होंने विभाग द्वारा विहित पूर्व प्रोन्नति पाठ्यक्रम/पाठ्यक्रमें उत्तीर्ण किया हो। **टिप्पण 1.—** ऐसे उप–निरीक्षक (पशु परिवहन) की बाबत् जो इन नियमों के अधिसूचना की तारीख को नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं, प्रोन्नति के लिए पात्रता शर्तें तीन वर्ष जारी रहेगी। **टिप्पण 2.—** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/ पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(13)	(14)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के लिए), जिसमें निम्नलिखित होंगे :– (1) उप महानिरीक्षक, भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल – अध्यक्ष (2) कमांडेंट, भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल – सदस्य (3) मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी (चयन श्रेणी) या मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल – सदस्य	लागू नहीं होता

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. उप–निरीक्षक (पशु परिवहन)	42* (2010) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, (अननुसचिवीय)	वेतन बैंड– 2, 9300–34800 रू0 + ग्रेड वेतन 4200 रू0	चयन	लागू नहीं होता

(7)
लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	दो वर्ष

(11)	(12)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सशस्त्र बल कार्मिकों के पुनर्नियोजन द्वारा अनुसरित प्रतिनियुक्ति को सम्मिलित करके प्रतिनियुक्ति द्वारा	**प्रोन्नति द्वारा :** भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल के ऐसे हैड कांस्टेबल (पशु परिवहन) में से जिन्होंने उस श्रेणी में दस वर्ष नियमित सेवा की है और जिन्होंने विभाग द्वारा विहित पूर्व प्रोन्नति पाठ्यक्रम/पाठ्यकमें सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। **टिप्पण 1.**— ऐसे हैड कांस्टेबल (पशु परिवहन) की बाबत् जो इन नियमों के अधिसूचना की तारीख को नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं, प्रोन्नति के लिए पात्रता शर्तें वही जारी रहेगी। **टिप्पण 2.**— जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/ पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **प्रतिनियुक्ति द्वारा :** वेतन बैंड–2, 9300–34800 रू0 + ग्रेड वेतन 4200 रू0 में ऐसे उप–निरीक्षक (पशु परिवहन) में से या ऐसे हैड कांस्टेबल (पशु परिवहन) जिन्होंने कियात्मक आवश्यकता के आधार पर केन्द्रीय सरकार के संगठन या राज्य सरकार के संगठन में वेतन बैंड–1, 5200–20200 रू0 + ग्रेड वेतन 2400 रू0 में दस वर्ष नियमित सेवा की है।

टिप्पण.— पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतगर्त केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को बावन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

सशस्त्र बल कार्मिकों के पुनर्नियोजन द्वारा अनुसरित प्रतिनियुक्ति :

सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानान्तरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास कोई अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है; तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है।

(13)	(14)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के लिए), जिसमें निम्नलिखित होंगे :– (1) उप महानिरीक्षक, भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल – अध्यक्ष (2) मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी (चयन श्रेणी) या मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल – सदस्य (3) ज्येष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल – सदस्य	लागू नहीं होता

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. हैड कांस्टेबल (पशु परिवहन)	258* (2010) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, (अननुसचिवीय)	वेतन बैंड– 1, 5200–20200 रू0 + ग्रेड वेतन 2400 रू0	चयन	लागू नहीं होता

(7)
लागू नही होता

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नही होता

(11)	(12)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सशस्त्र बल कार्मिकों के पुनर्नियोजन द्वारा अनुसरित प्रतिनियुक्ति को सम्मिलित करके प्रतिनियुक्ति द्वारा	**प्रोन्नति द्वारा :** भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल के ऐसे लांस नायक/कांस्टेबल (पशु परिवहन) में से जिन्होंने उस श्रेणी में पाँच वर्ष नियमित सेवा की है और विभाग द्वारा विहित पूर्व प्रोन्नति पाठ्यकम/पाठ्यकमें सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। **टिप्पण.—** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/ पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति द्वारा :

केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार के अन्य विभागों के ऐसे कार्मिक जो समतुल्य या सदृश पदधारण किए हुए हैं।

टिप्पण.— पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतगर्त केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख़ को बावन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

सशस्त्र बल कार्मिकों के पुनर्नियोजन द्वारा अनुसरित प्रतिनियुक्ति :

सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानान्तरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास कोई अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है; तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है।

(13)	(14)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के लिए), जिसमें निम्नलिखित होंगे :— (1) कमांडेंट, भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल — अध्यक्ष (2) मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी (चयन श्रेणी) या मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल — सदस्य (3) ज्येष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल — सदस्य	लागू नहीं होता

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. कांस्टेबल (पशु परिवहन)	611* (2010) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, (अननुसचिवीय)	वेतन बैंड– 1, 5200–20200 रू0 + ग्रेड वेतन 2000 रू0	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(7)
18 और 25 वर्ष के बीच। 1. केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पॉच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण.**— आयु–सीमा अवधारित करने के लिए निणार्यक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू–कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

(8)	(9)	(10)
1. किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य 2. **शारीरिक मानकः—** ऊंचाई छाती अनुसूचित जनजातियो से संबंधित सभी अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 162.5 सें.मी. 76—81 सें.मी. गढ़वाली, कुमाउंनी, गोरखा, डोगरा, मराठा की श्रेणियों में आने वाले अभ्यर्थियों और सिक्किम, नागालैंड, अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर तथा जम्मू—कश्मीर क्षेत्र के लेह और लद्दाख से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 165 सें.मी. 78—83 सें.मी. सभी अन्य राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों 170 सें.मी. 80—85 सें.मी. **वजनः** चिकित्सा मानकों के अनुसार ऊंचाई और आयु के आनुपातिक **टिप्पणः** महानिदेशक, भा0ति0सी0पु0 उन कारणों के लिए, जो लेखबद्ध किए जाएं आपवादिक रूप से योग्य मामलों में विशेष अभियुक्ति के रूप में शारीरिक मानकों में शिथिल कर सकेगा। 3. **चिकित्सा मानकः** (क) दृष्टिः न्यूनतम दूर दृष्टि 6/6 और किसी प्रकार के सुधार के बिना (अर्थात् चश्में के बिना) दोनों आँखों की 6/9 होनी चाहिए। (ख) अभ्यर्थी को संहत जानु, चपटा पांव, फूली हुई नसें या भैंगी आंखों वाला नहीं होना चाहिए और उच्च रंग दृश्यता वाला होना चाहिए। उन्हें अच्छे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ का और ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त होना चाहिए जिससे उनके कर्तव्यों के दक्षतापूर्ण पालन में बाधा आने की संभावना हो। 4. शरीरिक दक्षता परीक्षण और लिखित परीक्षण में अर्हित होना चाहिए।	लागू नहीं होता।	दो वर्ष।

(11)	(12)
सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर सशस्त्र बल कार्मिकों के पुनर्नियोजन द्वारा अनुसरित प्रतिनियुक्ति को सम्मिलित करके प्रतिनियुक्ति द्वारा	**प्रतिनियुक्ति द्वारा :** ऐसे व्यक्ति में से जो वेतन बैंड—1, 5200—20200 रू0 + ग्रेड वेतन 2000 रू0 में सदृश पदधारण किए हुए हैं और जिनके पास कियात्मक आवश्यकता के आधार पर स्तंभ (8) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित अर्हता है।

टिप्पण.— प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतगर्त केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को बावन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **सशस्त्र बल कार्मिकों के पुनर्नियोजन द्वारा अनुसरित प्रतिनियुक्ति :** सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानान्तरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास कोई अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है; तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है।	
(13)	**(14)**
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के लिए), जिसमें निम्नलिखित होंगे :- (1) कमांडेंट, भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल — अध्यक्ष (2) मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी (चयन श्रेणी) या मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल — सदस्य (3) ज्येष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल — सदस्य	लागू नहीं होता।

[फा. सं. I–12013/11/2009–संगठन]

एस. सी. शिवाजी राव, उप-सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th August, 2010

G.S.R. 656(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of section 156 of the Indo-Tibetan Border Police Force Act, 1992 (35 of 1992), and in supersession of Indo-Tibetan Border Police Force Animal Transport Cadre (Non-gazetted) Recruitment Rules, 1999, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Inspector(Animal Transport), Sub-Inspector(Animal Transport), Head Constable (Animal Transport) and Constable (Animal Transport) in the Indo-Tibetan Border Police Force, namely :-

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Indo-Tibetan Border Police Force, Animal Transport Cadre (Non-gazetted) Recruitment Rules, 2010.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**— These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification and Pay Band and Grade Pay/scale of pay**.— The number of said posts, its classification and the Pay Band and Grade Pay/scale of pay attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

4. **Method of recruitment, age limit and other qualifications, etc.**.— The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

5. **Disqualification.**— No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living;or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Medical Fitness.**— Notwithstanding anything contained in these rules, only those persons who are in medical category SHAPE-I, as specified in the Indo-Tibetan Border Police Force Manual Volume-III, Medical Manual shall be eligible for promotion and appointment and including appointment by deputation/re-employment under the provisions of the rules.

7. **Power to relax.**— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect of any class or category of persons.

8. **Saving.**— Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post	Classification.	Pay Band and Grade Pay/ Scale of pay.	Whether selection post or non-selection post.	Whether benefit of added years of service admissible under rules 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Inspector (Animal Transport)	01* 2010 *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service Group 'B' Non-Gazetted, (Non-Ministerial).	Pay Band-2, Rs. 9300-34800 plus Grade Pay Rs. 4600.	Selection.	Not applicable.

Age limit for direct recruits	Education and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotion.
(7)	(8)	(9)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

Period of probation, if any.	Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(10)	(11)
Not applicable.	By promotion.

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption in grade from which promotion or deputation or absorption to be made.

(12)

By promotion:

From amongst Sub-Inspectors (Animal Transport) of Indo-Tibetan Border Police having five years regular service in the grade and passing the pre promotion Course/Courses prescribed by the department.

Note 1.— The eligibility condition for promotion in respect of Sub-Inspector (Animal Transport), who are holding the post on regular basis, on the date of the notification of these Rules shall continue to be 3 years.

Note 2.— Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.

If a departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(13)	(14)
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for Promotion/Confirmation) consisting of:- 1. Deputy Inspector General, Indo-Tibetan Border Police Force - Chairman 2. Commandant, Indo-Tibetan Border Police Force - Member 3. Chief Veterinary Officer (Selection Grade) or Chief Veterinary Officer, Indo-Tibetan Border Police Force - Member	Not applicable.

3056 GI/10-3

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Sub Inspector (Animal Transport)	42* 2010 *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service Group 'B' Non-Gazetted, (Non-Ministerial).	Pay Band-2, Rs. 9300-34800 plus Grade Pay Rs. 4200.	Selection.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

(10)	(11)
Two years.	By promotion failing which by deputation inclusive of deputation followed by re-employment of Armed Forces personnel.

(12)

By Promotion:

From amongst Head Constable (Animal Transport) of Indo-Tibetan Border Police Force who have rendered ten years regular service in the grade and have successfully completed pre promotion Course/Courses prescribed by the department.

Note 1.— The eligibility condition for promotion shall continue to be same in respect of Head Constable (Animal Transport) who are holding the post on regular basis on the date of the notification of these Rules.

Note 2.—Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.

By deputation:

From amongst Sub-Inspector (Animal Transport), in Pay Band-2, Rs. 9300-34800 plus Grade Pay Rs.4200 or Head Constable (Animal Transport) with Ten years regular service in Pay Band-1, Rs. 5200-20200 plus Grade Pay Rs.2400 in the Central Government Organization or State Government Organization on functional requirement basis.

Note.— The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in same or some other Organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-two years as on the closing date of receipt of application.

Deputation followed by re-employment of Armed Forces personnel:

The Armed Forces personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having requisite experience and qualifications prescribed for deputation shall also be considered. Such persons would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter they may be continued on re-employment basis.

(13)	(14)
Group 'B 'Departmental Promotion Committee (for Promotion) consisting of:- 1. Deputy Inspector General, Indo-Tibetan Border Police Force - Chairman 2. Chief Veterinary Officer (Selection Grade) or Chief Veterinary Officer, Indo-Tibetan Border Police Force - Member 3. Senior Veterinary Officer, Indo-Tibetan Border Police Force - Member	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. Head Constable (Animal Transport)	258* 2010 *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted, (Non-Ministerial).	Pay Band-1, Rs. 5200-20200 plus Grade Pay Rs. 2400.	Selection.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

(10)	(11)
Not applicable.	By promotion failing which by deputation inclusive of deputation followed by re-employment of Armed Forces personnel.

(12)

By Promotion:

From amongst Lance Naik/Constable (Animal Transport) of Indo-Tibetan Border Police Force having five years regular service in the grade and have successfully completed pre promotion Course/Courses prescribed by the department.

Note.— Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.

By deputation:

Personnel of the other Central/State Government departments holding equivalent or analogous posts.

Note.— The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in same or some other Organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-two years as on the closing date of receipt of application.

Deputation followed by re-employment by Armed Forces personnel:

The Armed Forces personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having requisite experience and qualifications prescribed for deputation shall also be considered. Such persons would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter they may be continued on re-employment.

(13)	(14)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for Promotion) consisting of:- 1. Commandant, Indo-Tibetan Border Police Force - Chairman 2. Chief Veterinary Officer (Selection Grade) or Chief Veterinary Officer, Indo-Tibetan Border Police Force - Member 3. Senior Veterinary Officer, Indo-Tibetan Border Police Force - Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5. Constable (Animal Transport)	611* 2010 *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted, (Non-Ministerial).	Pay Band-1, Rs. 5200-20200 plus Grade Pay Rs. 2000.	Not applicable.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)
Between 18 to 25 years. 1. Relaxable for Government servant upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. Note:- The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghlaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Division of Chamba District of Himachal Pradaesh, Andman Nicobar Islands and Lakshadweep).	1. Matriculation or equivalent from recognized Board. 2. **Physical Standard:** Height / Chest Minimum height for all candidates belonging to Scheduled Tribes: 162.5 Cms / 76-81 Cms Minimum height for candidates falling in the categories of Garhwalis, Kumaonis, Gorkhas, Dogras, Marathas and candidates belonging to the States of Sikkim, Nagaland, Arunachal Pradesh, Manipur, Tripura, Mizoram, Meghalaya, Assam, Himachal Pradesh, Kashmir and Leh and Ladakh regions of Jammu and Kashmir: 165 Cms / 78-83 Cms All other States and Union Territories: 170 Cms / 80-85 Cms **Weight** : Proportionate to height and age as per medical standards. **Note:** The Director General, ITBP may, for reasons to be recorded in writing, relax the physical standards as a special dispensation in deserving cases. 3. **Medical Standards:** (a) Vision : Minimum distant vision should be 6/6 and 6/9 of both eyes without correction (i.e. without wearing glasses). (b) Candidates must not suffer from knock knees, flat foot, varicose veins or squint in the eyes and should possess high colour vision. They must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of duties. 4. Must qualify the Physical efficiency test and written test.	Not applicable.

(10)	(11)
Two years.	By direct recruitment failing which by deputation inclusive of deputation followed by re-employment of Armed Forces personnel.

(12)
By deputation: From amongst persons holding analogous posts in Pay Band-1, Rs. 5200-20200 plus Grade Pay Rs.2000 and possessing the qualification prescribed for direct recruitment under column-8 on functional requirement basis. **Note.**— The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in same or some other Organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-two years as on the closing date of receipt of application. **Deputation followed by re-employment of Armed Forces personnel:** The Armed Forces personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having requisite experience and qualifications prescribed for deputation shall also be considered. Such persons would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter they may be continued on re-employment.

(13)	(14)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for Confirmation) consisting of:- 1. Commandant, Indo-Tibetan Border Police Force - Chairman 2. Chief Veterinary Officer (Selection Grade) or Chief Veterinary Officer, Indo-Tibetan Border Police Force - Member 3. Senior Veterinary Officer, Indo-Tibetan Border Police Force - Member	Not applicable.

[F. No. I. 12013/11/2009-Org.]

S. C. SIVAJI RAO, Dy. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
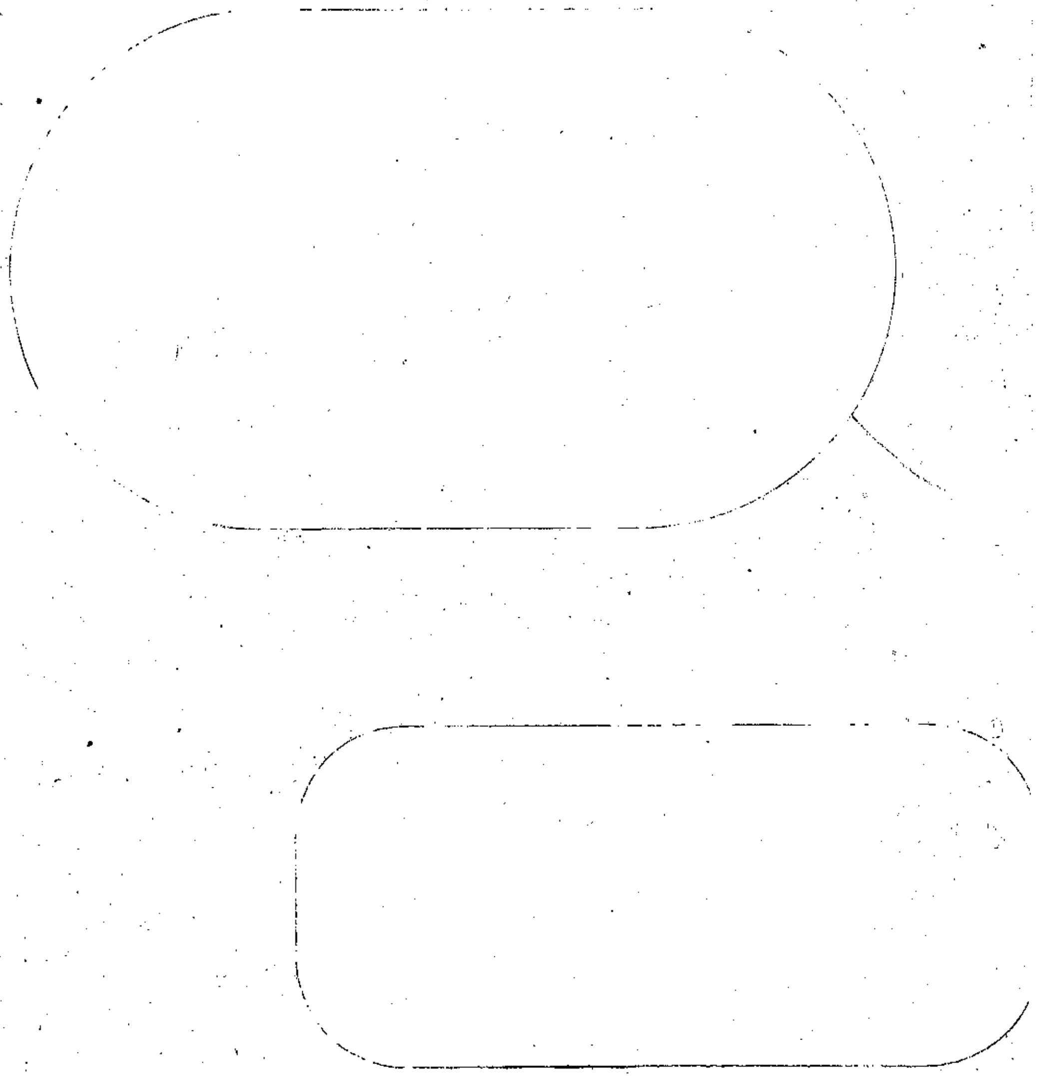
[illegible]